17.36 hrs

APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL*

MR. SPEAKER : The House will now take up Appropriation (Vote on Account) Bill.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE) ; Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Cosolidated Fund of India for the services, of a part of the financial year 1984-85.

MR. SPEAKER : The question is : "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the withdrawal of certain sums from aed out of the Cosolidaeted Fund of India for the services of a part of the financial year 1984-85."

The motion was adopted

MR. SPEAKER : The Minister may now introduce the Bill.

SHRI PRANAB MUKHERJEE : I introduce *the Bill.

I beg to move :**

"That the Bill to provide for the withdrwal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of a part of the financial year 1984-85, be taken into consideration."

MR. SPEAKER : Motion moved :

"That the Bill to provide for the withdrawal of certains sums from and out of the Cansolidated Fund of India for the servces of a part of the Financial year 1984-85, be taken into Consideration."

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी इजाजत हो, तो मैं बैठ कर अपनी बात कह दूं ।

श्री संतोष अग्रवाल (जयपुर) : अगर आपकी इजाजत हो, तो वह अपने भाषण को सदन की मेज पर रख दे ।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय मैं इस विधेयक पर बहस के क्रम में निम्न चार बातों का उल्लेख करते हुए मंत्री महोदय से स्पष्ट उत्तर की अपेक्षा रखता हूं।

देश के 1 लाख 27 हजार स्वतंत्रता-सेनानियों को स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन मिल रही है । सन् 1980 के अगस्त से प्रत्येक सेनानी को 300 रुपए माहवारी पेंशन की राशि मिल रही है । उनकी विधवाओं को 200 रुपए माहवारी मिलते हैं सन् 1980 अगस्त से पूर्व उन्हें क्रमशः 200 और 100 रुपए माहवारी मिलते थे ।

सन् 1980 की तुलना में आज मंहगाई कई गुना बढ़ गई है, जिसका मुख्य कारण केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को चार किस्तों के महंगाई भत्ते का बकाया है । मैं यहां सेनानियों की तुलना उनके साथ नहीं करना चाहता, परन्तु मंहगाई उन्हें भी औरों की तरह सता रही है । इस लिए मेरा अनुरोध है कि उनकी 300 रुपए की राशि को बढ़ा कर 500 रुपए माहवारी कर दिया जाए, ताकि बूढ़े स्वतंत्रता-सेनानी भीषण महंगाई का सामना करने एवं अपने परिवार के भरण पोषण में समर्थ हो सकें ।

पिछले बजट सत्र में इसी प्रकार के विधेयक पर हो रही बहस के दौरान मेरे द्वारा उठाए गए इसी प्रकार के प्रश्न के जवाब में आपने गृह मन्त्री की राय से कहा

*Published in Gazette of India Extra Ordinary Part II section-2 dated 14.3.1984
**Introduced/Moved with the recommendation of the President.

का कि सरकार पेंशन की राशि बढ़ाने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

[Mr. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

17.39 hrs.

मैं जानना चाहूंगा कि आपके इस आश्वासन का क्या हुआ।

2. सरकार भूतपूर्व संसद सदस्यों को भी कम से कम तीन सौ और अधिक से अधिक पांच सौ रुपये माहवारी पेंशन देती है। अत्यधिक महंगाई को देखते हुए उन्हें मिलने वाली यह राशि भी कम है। अतः सरकार से मेरा अनुरोध होगा कि, उन्हें मिलने वाली राशि को बढ़ा कर क्रमशः पांच सौ और सात सौ रुपये माहवारी कर दी जाए।

प्रायः सभी भूतपूर्व सांसद राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों से सम्बन्धित है। अपने कर्तव्य के निर्वाह के लिए उन्हें विभिन्न स्थानों की रेलों से यात्रा करनी पड़ती है जिस के क्रम में उन्हें बहुत सारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए रेल यात्रा में सुविधा के लिए प्रत्येक भूतपूर्व सांसद को कम से कम एक प्रथम श्रेणी का नाथ पास दिया जाय। उन के संगठन की ओर से सरकार को ज्ञापन भी दिये जा चुके है जिस में उक्त बातों का उल्लेख है। कहते हैं कि संसद सदस्यों के वेतन-भत्ता-पेंशन संबंधी संयुक्त समिति उन्हें रेल पास प्रदान करने की सिफारिश भी कर चुकी है।

3. दिनों दिन महंगाई में वृद्धि के कारण देश के केन्द्रीय सरकार के 36 लाख कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की चार किस्तें बकाया पड़ गयी हैं। पांचवीं किस्त भी होने ही वाली है। फिर भी, सरकार बार बार आश्वासन देने के बावजूद कान में रुई डाल कर बैठी हुई है और कर्मचारियों को आश्वासनों के बावजूद महंगाई भत्ते की बकाया किस्तों की भुगतान नहीं कर रही है सरकार की इस कर्मचारी विरोधी नीति से उनमें असंतोष की आग जल रही है और वे किसी भी दिन आन्दोलन का रास्ता पकड़ सकते हैं। अतः वित्त मंत्री से मेरा अनुरोध होगा कि वह कर्मचारियों की बकाया की संपूर्ण राशि का नकद भुगतान करें।

4. 50 लाख भूतपूर्व सैनिकों की गंभीर समस्यायें देश में आज करीब 50 लाख भूतपूर्व सैनिक हैं। प्रत्येक वर्ष 70 हजार जवान और एक हजार अधिकारी सेवा निवृत्त किए जाते हैं। जवान से लेकर नायक तक की सेवा निवृत्ति की आयु 32 से 40 वर्ष है जब कि अधिकारियों पर यह नियम लागू नहीं होता।

सेवा निवृत्ति हो जाने के बाद अधिकांश जवान स्वयं को पूरी तरह से असहाय महसूस करते है। इनमें से करीब 80 प्रतिशत ग्रामों में रहते हैं और आम तौर पर उनके पास जीविका का कोई साधन नहीं है। लड़ाई के अलावा किसी अन्य कार्य में प्रशिक्षित न हो पाने की वजह से उनके पास जो जमीन होती है उस पर दूसरे लोग कब्जा कर लेते है।

आर्थिक समस्याओं तनावों और असंतोष के कारण उन्हें गलत तरीके के लोगों का साथ देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इनमें से आज भारी तादाद में अकाली उग्रवादियों और असम आन्दोलन के साथ हैं। ब्रिटिश सेना में प्रशिक्षित भूतपूर्व नागा सैनिक पृथक नागा राज्य की रीढ़ रहे हैं। मिजो नेतृत्व में अधिकांश भूतपूर्व सैनिक ही हैं। मेघालय की मांग विलियम संगमा ने भूतपूर्व सैनिकों के बल पर ही जीती थी। त्रिपुरा उपजाति समिति में बहुत से भूतपूर्व सैनिक हैं। डकैती में भी वे भारी तादाद में शमिल रहे हैं। दिल्ली और आस पास की घटनाओं में भी वे शामिल रहे हैं।

भूतपूर्व जवानों के सही पुनर्वास में सरकार की विफलता के कारण ही भूतपूर्व

सैनिक इन सारी गलत गतिविधियों में शामिल है।

भूतपूर्व सैनिकों की इस दर्दनाक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन्डियन एक्स सर्विस लीग ने सरकार से मांग की है कि भूतपूर्व सैनिकों के पेंशन कोड में संशोधन किया जाय, उन्हें सेवा निवृत्त होने के बाद अर्द्ध-सैनिक संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों में काम दिया जाय, उनके लिए अलग मंत्रालय गठित किया जाय, यात्रा में रियायत दी जाय, सैनिक और सिविल अस्पतालों में नि शुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाय या उनके लिए विशेष अस्पतालों का निर्माण किया जाय, एक हजार रुपये तक पेंशन पाने वाले भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाय, रक्षा सेवा बैंक खोले जाने आदि। मैं उनकी इन मांगों को सर्वथा उचित मानता हूं।

अत: मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध होगा कि वह मेरी चारों बातों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर उठायी गयी सभी मांगों को स्वीकार कर विभिन्न प्रकार के लोगों के असंतोष दूर करें।

प्रो अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि हरित क्रांति की बड़ी चर्चा रहती है, कहा जाता है कि उसकी बड़ी उपलब्धियां हैं किन्तु मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हरित क्रांति की जो भी सफलता है वह असफलता के महासागर में केवल एक द्वीप बनकर ही ही रह गई है क्योंकि हरित क्रांति कहीं पर सफल रही है जहां की भूमि सिंचित है, असिंचित है, भूमि तक हरित क्रांति की सफलता अभीतक नहीं पहुंच पाई है। आज भी हमारे देश के किसान मानसून की दया पर निर्भर करते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हरित क्रांति से कहीं अधिक जोर आप ड्राई फार्मिंग के ऊपर दें, उसके लिए नयी टेक्नालाजी विकसित करें ताकि देश में खाद्यान्न की पैदावार बढ़ सके और अभी भी कम से कम पिछले दो साल में जो आप खाद्यान्न के आयात पर निर्भर करते हैं उसको समाप्त किया जा सके तथा हमारा देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो सके।

इसी प्रकार से आपरेशन फ्लड की विफलता की चर्चा करने में भी कुछ लोग चौंक जाते हैं क्योंकि वे लोग समझते हैं कि आपरेशन फ्लड काफी सफल रहा है लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। इसकी जो उपलब्धियां हैं वह केवल कुछ शहरों तक ही सीमित है, शहर के नागरिकों को भले ही आप कुछ दूधों की उपलब्धि करा सके हों लेकिन देहात में इसकी कोई उपलब्धि नहीं है। इस संबंध में मूल्यांकन समिति गठित की गई है उसके द्वारा फ्लड आपरेशन का सही मूल्यांकन होना चाहिए और यह देखा जाना चाहिए कि आपरेशन फ्लड से लाभ हुआ है अथवा हानि हुई है। उसके पश्चात इस नीति पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए।

जहां तक रक्षा सेवाओं का सम्बन्ध है, हमारे शास्त्री जी ने विशद रूप से इसके बारे में कहा है इसलिए मुझे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं रह गई है परन्तु इतना मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि रक्षा सेवाओं में समाज के हर वर्ग और हर क्षेत्र से भर्ती की जानी चाहिए। यदि रक्षा सेवाओं में किसी एक भाग से या किसी एक वर्ग से ही अधिक भर्ती कर ली जायेगी तो उसका हमारी रक्षा सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा

ग्रौर वह सारी व्यवस्था एकतरफा हो जायेगी। इसलिए ग्रावश्यकता है कि हर वर्ग ग्रौर हर क्षेत्र का रक्षा सेवाओं में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस सम्बन्ध में ग्राप जो भी क्राइटीरिया निर्धारित करें परन्तु हर क्षेत्र से उसमें वर्ग ग्रौर हर भर्ती होनी चाहिए।

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, हमारे देश में ग्राज दोहरी शिक्षा नीति प्रचलित है जिसका परिणाम यह है कि सम्पन्न वर्ग के लड़के पब्लिक स्कूलों में पढ़कर ग्रफसर बन जाते हैं ग्रौर जनसाधारण के लड़के लाभान्वित नहीं हो पाते क्योंकि उनके लिए पढ़ाई की दूसरी व्यवस्था है। इसलिए ग्रावश्यक है कि इस दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त किया जाना चाहिए। मैं शिक्षा के स्तर को नीचे लाने की बात नहीं कह रहा हूं बल्कि मैं चाहता हूं कि सरकारी स्कूलों में भी ग्राप शिक्षा का स्तर इतना ऊपर करदें जिसमें कि दोहरी शिक्षा नीति की ग्रावश्यकता ही न रह जाए। दोहरी शिक्षा नीति जो ग्रभी प्रचलित है उसको समाप्त करने के बाद ही ऐसा किया जा सकता है।

हाल ही में जवाहर लाल नेहरू युनिवर्सिटी में नामांकन की जो नीति थी उसको बदल दिया गया है। जिसकी वजह से देश के पिछड़े हुए हिस्सों को जो लाभ मिलता था वे ग्रब उससे वंचित रह जायेंगे। इसका सबसे बुरा परिणाम यह होगा कि यह सुविधा ग्रलाइट लोगों तक सीमित रह जाएगी। शिक्षा के स्तर को कायम करने के नाम पर ऐसा किया गया है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इससे पिछड़े इलाके के लोगों को कोई लाभ मिलेगा? वहां के लोग कम संख्या में विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकेंगे। इस प्रकार जवाहर लाल नेहरू युनिवर्सिटी की स्थापना के पीछे जो मूल भावना थी कि शिक्षा को एक ऐसे क्षेत्र तक ले जाया जाएगा जिससे कि पिछड़े हुए लोगों को फायदा मिल सके उस मूल भावना को ग्राघात होता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि जो पूर्व एडमीशन पालिसी थी उसको कायम रखा जाए ग्रौर नई पालिसी जो ग्रख्तियार की गई है, उसको रद्द किया जाए।

शास्त्री जी ग्रब जो बात मैं कहने जा रहा हू उससे कभी भी सहमत नहीं होंगे। मेरा कहना यह है कि बिहार में ऐसा कोई कालेज नहीं है जिसको कि हम कह सकें कि वह सही रूप में काम कर रहा है को ग्रौर उसको रैप्यूटेशन प्राप्त है। जिसको रैप्युटेशन प्राप्त है वह एक ही कालेज है बिरला इंस्टिट्यूट ग्राफ टैक्नोलोजी ...

श्री रामावतार शास्त्री : जहां पर कि सबसे ज्यादा गोलमाल है।

प्रो. ग्रजित कुमार मेहता : ज्यादा गोलमाल सिस्टर इंस्टीच्यूट में है, जिस की चर्चा ग्राप नहीं करेंगे। लेकिन मैं उस पर नहीं जाना हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि केवल यही एक ऐसा महा विद्यालय है, जिसके स्नातक को राज्य के बाहर ग्रौर विदेशों में भी मान्यता, रेपुटेशन प्राप्त है। ऐसी स्थिति में उस विद्यालय के बहुसंख्यक शिक्षक वर्ग ग्रौर छात्रों की ग्रोर से भी ग्रौर लोगों की ग्रोर से भी यह मांग बराबर ग्रा रही है कि उस विद्यालय के स्वायतत्ता के स्तर को बढ़ाकर डीम-टु-बि-युनिवर्सिटी का स्तर दे दिया जाए। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करें।

बिहार कोयले का बाहुल्य क्षेत्र है। लेकिन यह ग्राश्चर्य की बात है कि यहां पर एक भी सुपर थर्मल पावर स्टेशन नहीं है।

जब कि उसके बगल के प्रदेशों में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सुपर थर्मल पावर स्टेशन्स है। एक ही जगह पर इतने सुपर पावर थर्मल पावर स्टेशन बना दिए गए हैं, जिसमें कि करीब डेढ़ लाख टन कोयला रोज जलेगा तो इससे उत्पन्न प्रदूषण की आप कल्पना कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या यह अच्छा नहीं रहेगा कि सुपर थर्मल पावर स्टेशन अलग-अलग जगहों पर बनाए जाये। बिहार में कर्णपुरा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर पानी की सुविधा उपलब्ध है या तो दामोदर को ट्रिब्यूटरी हारो नदी से या कोयलाकारी परियोजना के कैचमैंट के समही नाले से काफी पानी उपलब्ध है और कोयला भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि उत्तरा कर्णपुरा क्षेत्र में एक सुपर थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना की जाए ताकि बिहार और कुछ अन्य क्षेत्रों की बिजली की समस्या दूर हो सके।

बायोगैस की स्थापना के बारे में सरकार ने बहुत कांशनेस दिखाई है लेकिन क्या उस के लिये उचित प्रबन्ध किया गया है? मैं सुझाव देता हूं कि बायोगैस और सौर ऊर्जा के लिये आप ऐसा नियम बना दें कि शहरों में सौर ऊर्जा के लिये बड़े बड़े मकानों पर संयंत्र लगाना आवश्यक हो जाय जहां पर म्यूनिसिपल कारपोरेशन की ओर से सुलभ शौचालय हैं वहां बायोगैस प्लांट बैठाने की अनिवार्यता कर दी जाय तो निश्चित रूप से बायोगैस और सौर ऊर्जा के प्रसार में सहायता मिलेगी।

इसके बाद छोटा नागपुर के आदिवासियों के नियोजन की जो समस्या है मैं उसकी ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आप जानते हैं वह अपार खनिज सम्पदा का क्षेत्र है इस लिये वहां पर बड़ी बड़ी योजनायें तथा परियोजनायें चालू की जाती है और उनको यह आश्वासन दिया जाता है कि जिन आदिवासियों को विस्थापित किया जायेगा जिनकी जमीनों को परियोजना के लिये लिया जायगा, उनके परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को उस परियोजना में अवश्य नौकरी दी जायगी। लेकिन इस प्रावधान का कड़ाई से पालन नहीं होता है। मैं हाल ही का एक उदाहरण आप के सामने रखना हूं कोल इन्डिया का उस क्षेत्र में नौकरी देने के लिए एक पैनल बनाया गया किन्तु ऐन-मौके पर उस पैनल को कैन्सिल कर दिया गया और यह कहा गया कि इस स्तर की नौकरी के लिये उनका नाम एम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज में आना आवश्यक है और चूंकि ये नाम एम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज में नहीं आये है इस लिये पैनल को रद्द किया जाता है। मैं ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान एक पत्र लिख कर पहले ही आकर्षित कर चुका हूं, इस लिये मुझे आशा है कि वे निश्चित रूप से इस पर ध्यान देंगे। यह हमारे यहां एक बहुत बड़ी समस्या है जो प्रतिज्ञा आप करते है यह उसका हनन है, इस तरह से आपकी विश्वसनीयता समाप्त हो जायगी और परियोजनाओं के चालू करने तथा उनको कार्यान्वित करने में बहुत बाधायें आयेंगी। इस लिये इस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

18.00 hrs

मेरा अन्तिम मुद्दा यह है कि योजना आयोग का गठन इस प्रकार होना चाहिए कि राज्यों का उसमें उचित प्रतिनिधित्व हो। सारे राज्यों का जो आय के स्रोत हैं वे योजना आयोग के अधिकार में हैं लेकिन इस में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है, वह नगण्य है। आप केवल एक चीफ

मिनिस्टर को बुला लेते हैं लेकिन उनका कोई अधिकार नहीं है । आप उनकी बात ही केवल सुन लेते हैं । (व्यवधान) आपको क्या फायदा मिलता है बीच में इनटरप्ट करने से । जितना ज्यादा आप इनटरेप्ट करेंगे, उतना अधिक समय मैं लूंगा और जो मैं बोलना चाहता हूं वह बोल कर ही रहूंगा ।

मेरा कहना यह है कि योजना आयोग का गठन इस प्रकार का होना चाहिए कि राज्यों का उचित प्रतिनिधित्व उसमें हो । इससे यह फायदा होगा कि राज्यों में जो विद्रोह की प्रवृत्ति पैदा होती है वह समाप्त जाएगी । हर राज्य के लोग यही समझते हैं कि आय के सारे स्रोत केन्द्र ने अपने हाथों में रख लिये हैं और उनको कोई स्वतन्त्रता नहीं है और अपने राज्य में होने वाली आय को भी वे उचित ढंग से खर्च नहीं कर सकते इससे स्वायत्तता की मांग होती है और देश के बिखराव की स्थिति पैदा होती है । इस लिए मेरा सुझाव यह है कि योजना आयोग का गठन इस तरह से किया जाए जिसमें राज्यों का उचित प्रतिनिधित्व हो । राज्यों का उचित प्रतिनिधित्व होने से योजना आयोग के निर्णय किसी एक तरफ नहीं झुकेंगे और किसी राज्य के प्रति वे बायस्ड नहीं होंगे ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया और मन्त्री महोदय से आग्रह करता हूं कि जिन मुद्दों को मैंने उठाया है, उनमें जिनका वे जवाब दे सकते हैं उनका जवाब वे दें ।

SHRI PRANAB MUKHERJEE : Mr Ramavatar Shastri has raised four points and prof. Ajit Kumar Mohta has raised a number of points, As you koow Sir the practice with regard to the points which are not directly related to my Ministry is that normally wepass on the suggestions and points to the respective Ministries,

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Most of my points related to your Ministry,

SHRI PRANAB MUKHERJEE : About raising the Pension of the freedom fighters, the hon. Member himself is aware that it is under the active consideration of the Ministry of Home Affairs.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : For how long? Last Year also You had said the same thing. How long will it take ?

SHRI PRANAB MUKHERJEE : If I had something in my pocket I would have done much earlier. We are taking note of it. Similarly, this problem has also come to our notice, that is, facilities to ex-Members. As You know, we have recently done something for the present Members. So I will take some more time to absorb the shock of what we have done for the present Members and thereafter I will do something for the ex-Members.

AN HON. MEMBER : By then we will have become ex-Members.

SHRI PRANAB MUKHERJEE : You will agree that we have given a substantial increase so far as the present Members are concerned.

AN HON. MEMBER : Many of us will become ex-Members.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You will be elected again and you will come back.

SHRI PRANAB MUKHERJEE : Regarding ex-servicemen, one, problem we have about pensioners. The other day my colleague, the Defence Minister has suggested this. The problem partcu-

larly, so far as pension is concerned, is about computation. we have offered to them the ready-reckoner. If they want to have the ready-reckoner, their claims will be settled immediately and about those who will not accept it, point-to-point fixation in respect of those cases will be done. One can understand the problem when eleven lakhs of people are involved and covering services over a period of years, 15 to 25 years ..

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Finance Minister, there is not much of difference also. As a pensioner, I have studied and I have also taken the arreae The ready-reckoner is all right. Thers is a difference of only one or two rupees.

SHRI PRANAB MUKHERJEE : That is why I have suggested In fact, the Defence Minister the other day discussed in detail on the floor of the other House.

About bank loans you have discussed in detail with my colleague, Mr Janardhana Poojary.

. Regarding DA instalments I have got some provisions in the Budget but I will not be able to make any commit ment right now...

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : What is the use of keeping it ?

SHRI PRANAB MUKHERJEE : Sir, these are the common points they have made. But only a coupl: of observations I can make. These are the exercises we are making. These are the general points. Whether Operation Flood has become successful or not and whether the Green Revolution has become successful or not-you will get ample opportunity to bring them to the attention of the Ministers when the respective demands come up. Only one point I would like to clarify when he referred to the Planning Commission and ascertaining the views of Chief Ministers.

So far as the National Development Council is concerned, Chief Ministers come by their right-it is not an advisory ... *(Interruptions)* The Planning Commission formulates the Plans but the ultimate approval of the Plan rests with NDC. And NDC consists of all the Chief Ministers .. *(Interruptions)* No, no. I totally disagree with you, because I myself conducted a number of conferences of Chief Ministers They express their views. The recent meeting I had was on Sales Tax. Another meeting I am going to have on the 24th They do not want to bulldoze the majority view and we do not want to suppress the views of the other. We try to work out a consensus and to my mind this system has proved to be successful. We should rather strengthen this system instead of just institutionalising and formalising it.

All other points and suggestions of the hon Members I will pass on to the respective Ministers.

MR DEPUTY-SPEAKER . I shall now put the motion for consideration to the vote of the House

The question is :

"That the Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of a part of the financial year 1984-85 be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR DEPUTY-SPEAKER : Now the question is .

"That clauses 2 to 4 and the Schedule stand part of the Bill."

The motion was adopted

Clauses 2 to 4 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

SHRI PRANAB MUKHERJEE : Sir, I beg to move :

"That the Bill be passed."

MR DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : what is the Bill, sir ?. .. Misappropriation Bill ?

MR DEPUTY SPEAKER : Hon Members, before I call the Minister of Energy to make his statement, the Parliamentary Affairs Minister made a request to the Chair that since they are going to declare holiday on Friday, we may take up the Supplementary Demands also I have consulted Mr. Satyasadhan Chakraborty and Mr Ram Vilas Paswan who are the valiant Opposition Leaders that we will pass it to-day and they have also agreed. . *(Interruptions)* We have to take the views of the Opposition *(Interruptions)* Therefore, after this statement we are going to take up the Supplementary Demands also.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI [Patna) : Our speaker is not here. How can you take it up ? We protest.

MR DEPUTY-SPEAKER : Is it the sense of the House that we take up the Supplementary Demands also ?

SEVERAL HON MEMBERS : Yes, yes

THE MINISTR OF ENERGY SHRI P. SHIV SHANKAR) Why don,t you tell him that he is also a valiant opposition leader so that he will sit down ?

PROF AJIT KUMAR Mehta (Samastipur) : No advance notice or information was given.

MR DEPUTY-SPEAKER : Please listen...

PROF AJIT KUMAR MEHTA : I can go to any extent to help you and co-o perate with you,

MR DEPUTY-SPEAKER : Please listen to me. We have asked for a holiday on Friday because of Holi. That is what I am telling. The sense of the House is that we pass the supplementary Demands also,

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : I am walking out in protest.

18-10 hrs

Shri Ramavatar Shastri then left the House

MR DEPUTY SPEAKER : I am sorry. We cannot satisfy everybody.

Now, the Hon. Minister of Energy may make his statement.

Shri P. Shiv Shankar.

18.11 hrs

STATEMENT ON "NEW GAS STRIKE IN GODAVARI ONSHORE AND OIL & GAS STRIKE AT GANDHAR IN CAMBAY BASIN"

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. SHIV SHANKAR) : Sir, I am glad to announce two important discoveries which have been made in the last four days in Krishna-Godavari basin and in the Cambay basin.

On March 10, 1984, gas with conden sate was struck at Well Bhimonopalli-1 located about 60 kms. South-East of Rajamundhari in East Godavari district. The first object tested in intervals of 2810.5 metres to 2813.5 metres gave a gas flow at a rate ranging from 27000 to 40000 cubic metres per day with the choke size varying from $\frac{1}{4}$" to $\frac{1}{2}$". Seven more objects in this well are yet to be tested.

This is the fourth well drilled in the onland Godavari basin, the earlier wells being one at Razole and two at Narsapur. Wells both at Razole and Narsapur had earlier given indications of the presence of gas. An adjacent well at Amlapuram which is under drilling will also be tested shortly.

Drilling operotions are planned at nine more locations on different